

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)



No.2023/Safety(A&R)/19/09

New Delhi, dated. 12 .03.2024

The General Managers
All Indian Railways,
Railway Electrification, Prayagraj,
Metro Railway Kolkata &
MD / Konkan Railway Corp.Ltd, Navi Mumbai

Sub: Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2024 - Amendment of Rule 9.04 and 9.06 of Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976.

Gazette Notification for amendment in Rule 9.04 and 9.06 of Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 has been notified in the Gazette of India and published vide G.S.R.160(E) dated 07.03.2024.

A copy of the notification in Hindi and English is enclosed for information and further necessary action.

Please bring the contents of the above Gazette Notification to the notice of all concerned.

DA: As above

(Mukul Kumar)

Executive Director/Safety(Traffic)

Railway Board

011-23047407

kumar.mukul@gov.in

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1. The Chief Commissioner of Railway Safety / Lucknow.
- 2. The Principal Operations Managers, All Indian Railways.
- 3. The Principal Signalling & Telecommunication Engineers, All Indian Railways.
- 4. The Principal Mechanical Engineer, All Indian Railways.
- 5. The Principal Electrical Engineer, All Indian Railways.
- 6. The Principal Safety Officers, All Indian Railways.
- 7. The Director General, RDSO, Lucknow.
- 8. The Director General, NAIR, Vadodara.
- 9. The Director, Indian Railways Institute of Transport Management, Manak Nagar, Lucknow.
- 10. The Principal, Indian Railways Institute of Civil Engineering, Pune.
- The Principal, Indian Railways Institute of Mechanical and Electrical Engineering, Jamalpur.
- 12. The Principal, Indian Railways Institute of Signal, Engineering and Telecom, Secunderabad.
- 13. The Director, Indian Railways Institute of Electrical Engineering, Nasik.
- 14. The Chief Administrative Officer, Indian Railway Project Management Unit, Shivaji Bridge, New Delhi.
- The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway, Bhusawal, Eastern Railway, Bhuli, Northern Railway, Chandausi, North Eastern Railway, Muzaffarpur, Northeast Frontier Railway, Alipurduar, North Western Railway, Udaipur, Southern Railway, Tiruchirapalli, South Central Railway, Maula Ali, South Eastern Railway, Sini.
- 16. The Railway Liasion Officer, Gate No.3 1st Floor, Jeevan Tara Bldg., Patel Chowk, Parliament Street, New Delhi.
- 17. The Secretary, Railway Rates Tribunal, Chennai.
- 18. The CAO, Central Organization for the Modernisation of Workshops, New Delhi.
- 19. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
- 20. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
- 21. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi
- 22. The General Secretary, FROA, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi.
- 23. The General Secretary, IRPOF, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi.
- 24. The Indian Railways Conference Association, DRM's Building, Accounts Building, Chelmsford Road, New Delhi.

(Mukul Kumar)

Executive Director/Safety(Traffic)

Railway Board

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

सं. 2023/सेफ्टी/(एएंडआर)/19/09

नई दिल्ली, दिनांक: 12-.03.2024

महाप्रबंधक सभी क्षेत्रीय रेलें, रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज, मेट्रो रेल कोलकाता एवं प्रबंध निदेशक/ कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड, नवी मुंबई

विषय: भारतीय रेल (चालित लाइन) सामान्य (संशोधन) नियम, 2024 - भारतीय रेल (चालित लाइन) सामान्य नियम, 1976 के नियम 9.04 और 9.06 का संशोधन।

भारतीय रेल (चालित लाइन) सामान्य नियम, 1976 के नियम 9.04 और 9.06 में संशोधन के लिए राजपत्र अधिसूचना को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और दिनांक 07.03.2024 को सा. का. नि. 160 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया है।

अधिसूचना की हिंदी और अंग्रेजी की प्रतिलिपि सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

कृपया उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना की विषय-वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

संलग्नक: यथोक्त

(मुकुले कुमार)

कार्यपालक निदेशक/सुरक्षा(ट्रैफिक)

रेलवे बोर्ड

011-23047407

Kumar.mukul@gov.in

सं. 2023/सेफ्टी/(एएंडआर)/19/09

नई दिल्ली, दिनांक:12.03.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :-

- 1. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
- 2. प्रधान परिचालन प्रबंधक, सभी भारतीय रेलें।
- 3. प्रधान सिगनल और दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
- 4. प्रधान यांत्रिक इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
- 5. प्रधान विद्युत इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
- 6. प्रधान संरक्षा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें।
- 7. महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ।
- 8. महानिदेशक, एनएआईआर, वडोदरा।
- 9. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, मानक नगर, लखनऊ।
- 10. प्रिंसिपल, भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, पुणे।
- 11. प्रिंसिपल, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमालपुर।
- 12. प्रिंसिपल, भारतीय रेल सिगनल, इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
- 13. निदेशक, भारतीय रेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान, नासिक।
- 14. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय रेल परियोजना प्रबंधन इकाई, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली।
- 15. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे, भुसावल, पूर्व रेलवे, भूली, उत्तर रेलवे, चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे, मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, अलीपुरद्वार, उत्तर पश्चिम रेलवे, उदयपुर, दक्षिण रेलवे, तिरुचिरापल्ली, दक्षिण मध्य रेलवे, मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे, सिनी।
- 16. रेल संपर्क अधिकारी, गेट नंबर 3 प्रथम तल, जीवन तारा एक्सप्रेस, पटेल चौक, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 17. सचिव, रेल दर अधिकरण, चेन्नै।
- 18. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय कारखाना आधुनिकीकरण संगठन, नई दिल्ली।
- 19. सभी सदस्य, विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद और सचिव स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल,13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- 20. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 21. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
- 22. महासचिव, एफआरओए, कमरा नंबर 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 23. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नंबर 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 24. भारतीय रेल सम्मेलन संघ, डीआरएम भवन, लेखा भवन, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।

(मुकुल कुमार)

कार्यपालक निदेशक/सुरक्षा (ट्रैफिक)

रेलवे बोर्ड



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032024-252794 CG-DL-E-09032024-252794

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] No. 148]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

सा.का.नि.160(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 के साथ पठित, धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम 2024 है।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), में नियम 9.04 के खंड (क) में "हस्तचालित रोक (स्टाप) सिगनल", शब्दों के स्थान पर "हस्तचालित या अर्द्ध-स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल", शब्द रखे जाएंगे।

- 3. उक्त नियमों के, नियम 9.06 में,-
- (i) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

"इकहरी लाइन पर स्वचालित ब्लाक क्षेत्र में हस्तचालित रोक सिगनल या अर्द्ध-स्वचालित रोक सिगनल को 'आफ' करने की शर्तें-;

- (ii) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- "(1) निकट (होम) सिगनल यदि कोई गाड़ी अंतिम स्टेशन से भिन्न किसी अन्य स्टेशन के निकट (होम) सिगनल पर पहुँच रही है, तो वह सिगनल तब तक 'आफ' नहीं किया जाएगा जब तक कि लाइन न केवल प्रस्थान तक बल्कि उससे आगे भी पर्याप्त दूरी तक साफ नहीं है और इसके अतिरिक्त स्वचालित कार्यप्रणाली के लिए आगे वाले ब्लाक सेक्शन की दिशा विपरीत दिशा में नहीं बदल दी गई है।
- (2) अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल किसी गाड़ी के लिए अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल तब तक 'आफ' नहीं किया जाएगा जब तक यातायात की दिशा स्थापित नहीं हो गई है और लाइन अगले स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल तक साफ है या जब अगला रोक सिगनल हस्तचालित या अर्द्ध-स्वचालित रोक (स्टाप) सिगनल है, तो उससे आगे पर्याप्त दूरी तक।"

[फा. सं. 2023/संरक्षा(एएंडआर)/19/09]

सीमा कुमार, सदस्य (परिचालन एवं व्यवसाय विकास)तथा भारत सरकार की पदेन सचिव

टिप्पण:- मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 445(अ), तारीख 21 जुलाई, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 870 (अ), तारीख 30 नवम्बर, 2023 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD) NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024.

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60, read with section 198 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, (hereinafter referred to as said rules), in rule 9.04, in clause (a), for the words "Manual Stop Signals", the words "Manual or Semi-Automatic Stop signals" shall be substituted.;
- 3. In the said rules, in rule 9.06,-
 - (i) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-

- "Conditions for taking 'off' Manual Stop signal or Semi-Automatic Stop Signal, in Automatic Block territory on single line.-";
- (ii) for sub-rules(1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-
- "(1) Home signal- When a train is approaching a Home signal, otherwise than at a terminal station, the signal shall not be taken 'off' unless the line is clear not only upto the Starter but also for an adequate distance beyond it and in addition for automatic working, direction of the block section ahead is not set in opposite.
- (2) Last Stop signal- The Last Stop signal shall not be taken 'OFF' for a train unless the direction of traffic has been established and the line is clear up to the next Automatic Stop signal, or when the next Stop signal is a Manual or Semi Automatic Stop signal for an adequate distance beyond it."

[F. No. 2023/Safety(A&R)/19/09]

SEEMA KUMAR, Member (O & BD) and Ex-Officio Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 445(E), dated the 21st July, 1981 and last amended vide number G.S.R. 870(E), dated the 30th November, 2023.